(83)

10 COURT FEE INDIA
दस रुपये
TEN RUPEES

R-1667-IV/2002

न्यायालय राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक :2001-2002 निगरानी

दिनांक 23-7-02 को अपील कैम्प पर श्री ... द्वारा प्रस्तुत।
23-7-02

1- कालुसिंह पिता उमरावसिंह धाकड़
2- मोपसिंह पिता उमरावसिंह धाकड़
3- करणसिंह पिता हीरालाल
4- मुंशीलाल पिता पुनाजी
5- फूलसिंह पिता केशरसिंह
6- हुकुमसिंह पिता फूलसिंह
7- ललितकुमार पिता फूलसिंह
8- रामसिंह पिता फूलसिंह
9- राजेश पिता निर्भयसिंह
10- प्रेमसिंह पिता देवीसिंह
11- कमलसिंह पिता करणसिंह
12- देवीसिंह पिता करणसिंह
13- बापूसिंह पिता करणसिंह
14- प्रहलादसिंह पिता जगन्नाथ
15- मानसिंह पिता देवीसिंह

निवासीगण ग्राम दसनीपुर तहसील टौंक खुर्द
जिला देवास --------आवेदकगण

विरूद्ध

1- भारतसिंह पिता पुनाजी धाकड़
2- कैलाश पिता भारतसिंह धाकड़
3- राधेश्याम पिता भारतसिंह धाकड़
4- केशरसिंह पिता भारतसिंह धाकड़
5- सवाईसिंह पिता भारतसिंह धाकड़
6- देवीसिंह पिता भारतसिंह धाकड़

निवासीगण ग्राम दसनीपुर तहसील टौंक खुर्द
जिला देवास -------अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू0राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर राजस्व आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 654 : 2001- 2002 निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 10- जुन -2002 मे पारित आदेश विवाद्य से असन्तुष्ट एवम दु:खित होकर निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत करते है :-

1:- यह कि आधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि एवम विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि आवेदक द्वारा उनकी भूमि सर्वेनम्बर 42,29, 30, 28, 27,26,10, 23,21, 35, 27, 8,9,11, 4,7,36,38,6,5, 35,59,42 पर पहुंचने के लिये ग्राम आबादी से चलकर शासकीय भूमि सर्वेनम्बर 72 से शासकीय भूमि सर्वेनम्बर 84 से उत्तर दिशा की ओर शासकीय रास्ता 69 से होते हुए सर्वेनम्बर 50 मानसिंह पिता देवीसिंह के खेत से होकर सर्वेनंबर 51 कच्चा मरघट से करीब 20 कदम आगे चलकर सर्वेनम्बर 63 व 56 की मध्य मेढ से होकर सर्वेनम्बर 62 से होकर 59 व 58 की मध्य मेढ से होते हुए सर्वेनम्बर 41 पर पहुचते है ।सर्वेनम्बर 52 जो कि कच्चा मरघट से लगा है । यही मार्ग आवेदकगण का रूढिगत मार्ग है तथा कई आवेदकगण कई वर्षों से इस रूढिगत मार्ग का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे ।इस मार्ग के अलावा अन्य कोई मार्ग नही है तथा इसी मार्ग से ग्रामवासी श्मशान घाट पर पहुंचते है ।परन्तु अनावेदक ने भूमि सर्वेनम्बर 56 की दक्षिणी व पश्चिमी मेढ़ फाड़कर रास्ता बन्द कर दिया ।इस कारण आवेदकगण ने भू0राजस्व संहिता की धारा 131 व 32 के अधीन आवेदनपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनावेदकगण द्वारा रोके गये रास्ते को खुलवाया जाये । तत्पश्चात दिनांक 21-8-2001 को स्थल निरीक्षण किया गया तहसीलदार महोदय ने दिनांक -

(83)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(118)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1867-चार/2002

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 16-08-2017 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	